तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/5/2012	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार बापड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गयी। वाद वादी का राजस्व वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम शामिल दफ्तर हो।
[illegible] सही कार्यवाही पदस्थापक ST 12/03/2022	सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:23:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कंचन राठौड़ (आर. ए. एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या 04/2022

वादी :—

1. कालू खान पुत्र श्री अलारखां।
2. सदीक खां पुत्र श्री अलारखां जातियान् तेली मुसलमान निवासीगण लवेरा कलां, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

प्रतिवादी :—

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता :—

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

—:निर्णयः—

दिनांक 25.05.2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू—राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। कि ग्राम लवेरा कलां, पटवार हल्का लवेरा कलां, तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में वादी की कृषि भूमि मौजा लवेरा कलां के खसरा संख्या क्रमशः 141/12 रकबा 1.9416 हैक्टयर व 556/8 रकबा 1.7798 हैक्टयर में भूमि आयी हुई है। जिसमें ग्राम लवेरा कलां की संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिसमें वादी का नाम लिपीकीय त्रुटि वंश कालू खान पुत्र अलारखां की जगह उस्मानखां पुत्र अलारखां दर्ज हो गया था। जो गलत है। राजस्व वाद में साक्ष्य के रूप में वादी ने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड प्रस्तुत किये गये। जिसमें वादी का सही नाम कालू खान है। उक्त वाद में वादी के सही नाम हेतु सह खातेदार सदीक खां ने सहमति प्रदान की। तहसीलदार बावड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। तथा तहसीलदार बावड़ी की रिपोर्ट के पैरा संख्या 8 अनुसार वादी का सही नाम उस्मानखां पुत्र अलारखां की जगह कालू खान पुत्र अलारखां दर्ज किया जाता है तो राजहीत प्रभावित नहीं होगा। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवालोकन एवं बहस पर मनन करने के बाद वादी का राजस्व वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

वादी का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम लवेरा कलां, पटवार हल्का लवेरा कलां, तहसील बावड़ी के खसरा संख्या 141/12 रकबा 1.9416 हैक्टयर व खसरा संख्या 556/8 रकबा 1.7798 हैक्टयर भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:23:24 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

वादी का नाम उस्मानखां पुत्र अलारखां के स्थान पर कालू खान पुत्र अलारखां दुरस्ती के तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार शुद्ध नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

आदेश आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में मज़मे–आम सुनाया गया ।

श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:23:24 IST
Reason: SelfAttested